निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 179/2014
दायरा दिनांकः–03.11.2014
निर्णय दिनांकः– 30.7.24

उनवान

1. भोलाराम आयु 45 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
2. हीरालाल आयु 60 वर्ष आत्मज धुल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
3. कालु आयु 70 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
4. श्री किशन आयु 60 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
5. रामकल्याण आयु 55 पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. मुस0 गुलाब बाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुस0 केदार बाई आयु 36 वर्ष वर्ष पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मुस0 रामी बाई आयु 70 वर्ष पुत्री धुल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. मुस0 शान्ति बाई आयु 65 वर्ष पुत्री धुल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. रामनाथ आयु 50 वर्ष आत्मज गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
6. मुस0 बद्री बाई आयु 90 वर्ष बेवा गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
7. मुस0 कान्ति आयु 45 वर्ष पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
8. मुस0 अनार आयु 40 वर्ष पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
9. राजेन्द्र आयु 45 व वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
10. प्रहलाद आयु 40 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

11. गिरराज आयु 35 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
12. मुस0 कलावती आयु 50 वर्ष पुत्रिया गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
13. मुस0 सुमन्दा आयु 33 वर्ष पुत्रिया गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
14. मुस0 नारंगी आयु 30 वर्ष पुत्रिया गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
15. मुस0 बदरी बाई आयु 75 वर्ष बेवा गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0
17. उपपंजीयन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,188,136 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 30.7.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,183,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमिया खसरा नम्बर 117 की रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 121 की रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 126 की रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 154 की रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा कुल 4 किता आराजीयात मवाजी 20 बीघा 10 बिस्वा अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 8 की पैत्रिक अर्थात् गुलजी की सम्पति है गलजी का स्वर्गवास हो चुका है गुलजी के दो पुत्र धुल्या एवं गंगाबिशन थे जो उक्त वर्णित भूमि मृतक धुल्या हिस्सा 1/2 तथा मृतक गंगाबिशन हिस्सा 1/2 के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर खातेदार होने के कारण उक्त वर्णित भूमियों को अपने जीवन पर्यन्त तक बेहेसियत मालिक एवं खातेदारान के नियमित रूप से काबिज रहे और काश्त करते रहे। धुल्या एवं गंगाबिशन का स्वर्गवास हो चुका है धुल्या के जाईज वारिस एवं कायम मुकामान एवं उत्तराधिकारी वादी क्रम 2 हीरालाल एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 रामी बाई एवं शान्ति बाई तथा उसका पुत्र रामनारायण है। धुल्या के पुत्र रामनारायण का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जाइज वारिस तथा कायम मुकामान तथा उत्तराधिकारी वादी क्रम संख्या 1 भोलाराम एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 2 मुस0 गुलाब बाई तथा केदार बाई है। इस प्रकार वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम संख्या 1 ता 4 मृतक धुल्या के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 1/2 पर नियमित रूप से अभी तक बेहेसियत मालिक एवं खातेदार के काबिज है और काश्त करते हुवे चले आ रहे है। इसी प्रकार से मृतक गंगाबिशन अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर अपने जीवन पर्यन्त तक तथा उसकी मृत्यु हो जान के पश्चात् से उसके जाईज वारिस तथा कायम मुकामान तथा उत्तराधिकारी वादीगण क्रम संख्या 3 ता 5 कालु,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

श्रीकिशन एवं रामकल्याण तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 5 लगायत 8 रामनाथ बद्री बाई कान्ती अनार होने के कारण मृतक गंगाबिशन के 1/2 हिस्से की भूमि पर बेहेसियत मालिक एवं खातेदार के काबिज है और काश्त करते हुवे चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमियो के वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 8 शामलाती खातेदार होने के कारण उनको प्रस्तुत वाद में प्रोपफार्मा प्रतिवादीगण बनाये गये है। प्रतिवादीगण क्रम संख्या 9 लगायात 14 के पिता तथा प्रतिवादीनी क्रम संख्या 15 के पिता गोपाल आत्मज रताना ने प्रतिवादी क्रम संख्या 16 तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवेन्यू अधिकारियों से सांठ–गांठ कर बिना जानकारी तथा बगैर अनुमति पूर्व खातेदार धुल्या एवं गंगाबिशन के अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से उक्त वर्णित भूमि के हिस्सा 1/3 पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज करवा लिया जिसका की उसको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। अथवा प्रतिवादी क्रम संख्या 16 तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवन्यू अधिकारियों ने सहवन से भूलवश धुल्या एवं गंगाबिशन के साथ–साथ गोपाल का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका कि प्रतिवादी क्रम संख्या 16 तहसीलदार छबडा को भी कोई अधिकार प्राप्त नही था उक्त वर्णित भूमि पर गोपाल का नाम जमाबन्दी में दर्ज होने की जानकारी वादीगण को मौजुदा जमाबन्दी की नकल दिनांक 14.08.2014 को तथा पुरानी जमाबन्दी की नकल दिनांक 09.09.2014 को प्राप्त होने पर हुयी। उक्त वर्णित भूमि के हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादीगण क्रम संख्या 9 लगायात 14 के पिता तथा प्रतिवादीनी क्रम संख्या 15 के पति गोपाल आत्मज रतना को कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नही और ना ही भूमि पर उसका कभी कोई कब्जा रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके जाईज वारिस तथा कायम मुकामान प्रतिवादीगण क्रम संख्या 9 लगायात 15 का भी भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही मौजुदा समय में है बल्कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 लगायात 8 ही उक्त वर्णित भूमियो पर अपने पूर्वजो के समय से ही नियमित रूप से अभी तक काबिज है और काश्त करतें हुवे चले आ रहे है। प्रतिवादीगण क्रम संख्या 9 लगायात 14 के पिता तथा प्रतिवादीनी क्रम संख्या 15 के पति गोपाल के पिता का नाम गुलजी नही है। बल्कि रतना है। उक्त तथ्य गोपाल के स्वयं की अन्य निजी भूमि की जमाबन्दी से साबित है। उक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगण क्रम संख्या 9 लगायात 14 के पिता तथा प्रतिवादीनी क्रम संख्या 15 के पिता गोपाल आत्मज रतना को तथा उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त वर्णित भूमि पर किसी भी प्रकार के काई वैधानिक एवं कानीनी अधिकार प्राप्त नही होते है। गोपाल का उक्त वर्णित भूमि पर अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीकों से नाम दर्ज हुआ है अतः वादीगण उक्त वर्णित भूमि पर गोपाल का नाम खाते से खारिज करा कर राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। गोपाल का नाम उक्त वर्णित भूमि पर गलत दर्ज होने की जानकारी होने के पश्चात् वादीगण ने प्रतिवादी क्रम सं0 16 तहसीलदार छबडा के सम्बन्ध रेवन्यू अधिकारियों से सम्वर्क स्थापित कर उक्त वर्णित भूमि पर से गोपाल का नाम खातेदारी से खारिज कर राजस्व रिकार्ड भू अभि0 जमाबन्दी में इन्द्राज दूरूस्ती करने का अनुरोध किया किन्तु वादीगण की कोई सुनवाई नही की और वादीगण को इन्द्राज दूरूस्ती का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी। वादीगण ने प्रतिवादीगण क्रम संख्या

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

9 ता 15 से भी गोपाल का नाम उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी से खारिज कराने का अनुरोध भी कई मर्तबा किया किन्तु वह भी टालमटोल करतें रहै अंत में दिनांक 05.10.2014 को पुनः अनुरोध करने पर उन्होने कतई इंकार कर दिया बक्कि गोपाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसका फोती इंतकाल अपने पक्ष में तस्दीक करा कर निकट भविष्य में भूमि पर जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य कर भूमि को अन्यत्र रहन बैय तथा हस्तानान्तरण करने की वादीगण को धमकी दी अतः यही दिनांक 05.10.2014 बिनाय मुखासमत वाद कायम किया जाता है। यदि प्रतिवादीगण क्रम संख्या 9 ता 15 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा भूमि पर आधिपत्य नही करने बाबत् एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 9 ता 16 आरे 17 को भूमि को अन्यत्र रहन बैय तथा हस्तानन्तरण नही करने बाबत् पाबन्द नही फरमाया गया तो वह जबरन ताकत के बल पर वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि पर आधिपत्य कर लेगें और गोपाल का फोती इंतकाल अपने पक्ष में तस्दीक करा कर भूमि को अन्यत्र रहन बैय तथा हस्तान्तरण कर देगें जिसके फलस्वरूप वादीगण को दीगर मुकदमें बाजियों में मशरूप होकर जेरबार होना पडेगा। और वादीगण को भंयकर रूप से आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना नितांत असंभव हो जावेगा अतः वादीगण प्रतिवादी क्रम संख्या 9 लगायत 17 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा सम्वत् 2012–15 खाता संख्या 38 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 11, नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 62 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 भोलाराम PW2 प्रेमनारायण PW3 छीतरलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की पैत्रिक अर्थात् गुलजी की सम्पत्ति है गुलजी के दो पुत्र धुल्या व गंगाबिशन थे। धुल्या व गंगाबिशन का उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 –1/2 होने के कारण काश्त करते चले आ रहे है धुल्या व गंगाबिशन की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के पश्चात् धुल्या व गंगाबिशन के वारिसान का हिस्सा 1/2 –1/2 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी क्रम 9 ता 14 के पिता व प्रतिवादी क्रम 15 के पति गोपाल पुत्र रताना ने गुलजी का पुत्र बतातें हुए अवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से उक्त भूमि के हिस्सा 1/3 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया राजस्व अधिकारियों ने सहवन से भूलवश धुल्या एवं गंगाबिशन के साथ–साथ गोपाल का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया प्रतिवादी क्रम 9 ता 14 के पिता गोपाल को नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नही था और न ही उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा न तो गोपाल का कब्जा काश्त रहा और उनके मरने के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बाद उनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 9 ता 15 का कभी कब्जा काश्त रहा। विवादित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी क्रम 9 ता 14 के पिता का नाम गुलजी नही है बाल्कि रतना है गोपाल की अन्य निजी भूमि की जमाबन्दी से साबित होता है गोपाल का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2012–15 खाता संख्या 38 में धुल्या, गंगाबिशन गोपाल पिसरान गुलजी जाति मीणा सा0देह व हिस्सा बराबर दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2060–63 में गोरधन पुत्र रतना कोम मीणा का नाम दर्ज हे नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 62 में गोपाल पुत्र गुलजी हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में वर्ष 2012 की जमाबन्दी एवं वर्तमान की जमाबन्दी में प्रतिवादी क्रम 9 ता 15 के पिता व पति गोपाल का नाम दर्ज है वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र व बहस में बताया कि गोपाल द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर गुलजी पुत्र बनकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा लिया सम्वत् 2012 से वर्तमान जमाबन्दी में लगातार गोपाल पुत्र गुलजी जाति मीणा का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है वादी द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2060–63 पेश थी जिसमें गोपाल पुत्र रतना कोम मीना दर्ज है इससे यह नही कहां जा सकता कि गोपाल गुलजी का बेटा नही था। वादी यह भी साबित करने में विफल रहा है। कि राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से या मिली भगत से गोपाल पुत्र गुलजी का नाम रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। वादी द्वारा ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश नही किये जिससे गोपाल गुलजी का पुत्र नही होना साबित हो सके। वादीगण गोपाल गुलजी का बेटा नही होना साबित करने में विफल रहे है। गोपाल पुत्र गुलंजी का नाम सम्वत् 2012 से वर्तमान जमाबन्दी में नाम दर्ज चला आ रहा है यह कैसे कह सकतें है कि गोपाल रतना का बेटा है। गोपाल पुत्र रतना के खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत करने पर यह नही माना जा सकता। वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 179/2014	धारा 88,89,91,188,136 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक- 30.7.24
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः-श्री अरविन्द प्रताप सिंह -वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः-श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भोलाराम आयु 45 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां
2. हीरालाल आयु 60 वर्ष आत्मज धुल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां
3. कालु आयु 70 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां र
4. श्री किशन आयु 60 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
5. रामकल्याण आयु 55 पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. मुस0 गुलाब बाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
2. मुस0 केदार बाई आयु 36 वर्ष वर्ष पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
3. मुस0 रामी बाई आयु 70 वर्ष पुत्री धुल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां
4. मुस0 शान्ति बाई आयु 65 वर्ष पुत्री धुल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा ।
5. रामनाथ आयु 50 वर्ष आत्मज गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां
6. मुस0 बद्री बाई आयु 90 वर्ष बेवा गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
7. मुस0 कान्ति आयु 45 वर्ष पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
8. मुस0 अनार आयु 40 वर्ष पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
9. राजेन्द्र आयु 45 व वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
10. प्रहलाद आयु 40 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां
11. गिरराज आयु 35 वर्ष पिसरान गंगाबिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
12. मुस0 कलावती आयु 50 वर्ष पुत्रिया गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा मुस0 सुमन्दा आयु 33 वर्ष पुत्रिया गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
13. मुस0 नारंगी आयु 30 वर्ष पुत्रिया गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा
14. मुस0 बदरी बाई आयु 75 वर्ष बेवा गोपाल आत्मज रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0
15. उपपंजीयन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.7.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		